न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/77/2021

अपीलांट श्री भंवरलाल सुथार पुत्र श्री चनणाराम सुथार
निवासी गावं जम्भेश्वर नगर (आंगौर) पोस्ट उपरला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन

आदेश

दिनांक : 22.11.2021

अपीलार्थी श्री भंवरलाल सुथार पुत्र श्री चनणाराम सुथार निवासी गावं जम्भेश्वर नगर (आंगौर) पोस्ट उपरला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार चौहटन के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 10.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/— का पोस्टल ऑर्डर संख्या 455491 दिनांक 06.08.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना का प्रार्थना—पत्र कार्यालय के पत्र क्रमांक 412 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर उपलब्ध करवाये जाने का नोटिस भिजवाया गया था किन्तु अपीलार्थी द्वारा यथा समय निर्धारित शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट की अपील, रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु निर्धारित शुल्क अदायगी का नोटिस भेजे जाने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अन्य माध्यम से शुल्क जमा नहीं करवाया गया है जिसके अभाव में सूचना दिया जाना संभव नहीं हुआ है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन [illegible] खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:15 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 22.11.2021 को न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर